# निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
# सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 27.02.2020

प्रकरण संख्या : 132 / 2020

उनवान

1. दुर्गाशंकर पुत्र बृजमोहन जाति धाकड।
2. प्रवीण पुत्र बृजमोहन जाति धाकड निवासी ग्राम कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद। — वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी ग्राम कुराडिया खुर्द तह. सांगोद।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर टी एक्ट

उपस्थित :—

दिनांक :— 26.02.2021

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी)

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

——निर्णय——

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. के खाते व कब्जे की आराजी माल ग्राम डाबरी खुर्द व माल ग्राम डंडिया तह. सांगोद जिला कोटा में स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

| माल ग्राम | खाता सं. | ख.न. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 270 | 0.18 |
| 271 | 0.80 |
| 272 | 0.13 |
| 273 | 0.34 |

कुल 8 किता की कुल 3.56 हैक्टर आराजी, जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 2/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

| माल ग्राम | खाता सं. | ख.न. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| डाबरीखुर्द | 215 | 460 | 0.01 |
| | | 461 | 0.82 |
| | | 463 | 0.14 |
| | | 465 | 0.73 |

कुल 4 किता की कुल 1.70 हैक्टर आराजी, जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

| माल ग्राम | खाता सं. | ख.न. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| डाबरीखुर्द | 150 | 50 | 1.01 |
| | | 531 | 0.31 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

कुल 2 किता की कुल [illegible] हैक्टर आराजी, जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

| माल ग्राम | खाता सं. | ख.न. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| डाबरीखुर्द | 109 | 118 | 2.48 |

| | |
|---|---|
| 119 | 0.50 |
| 121 | 0.26 |
| 123 | 2.53 |
| 530 | 0.11 |

कुल 5 किता की कुल 5.88 हैक्टर आराजी, जिसमें प्रतिवादी सं.1 का 2/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

| माल ग्राम | खाता सं. | ख.न. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| डाबरीखुर्द | 154 | 103 | 0.82 |
| | | 113 | 1.32 |
| | | 114 | 0.01 |
| | | 115 | 1.35 |
| | | 116 | 0.02 |
| | | 117 | 0.73 |
| | | 164 | 0.06 |
| | | 49 | 0.0[illegible] |
| | | 51 | [illegible] |
| | | 52 | 0.62 |
| | | 53 | 0.55 |
| | | 62 | 1.26 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी सं.1 के पुत्र हैं तथा वाद पत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादी सं.1 को वादीगण के दादाजी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जो कि पुश्तैनी आराजी है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी सं.1 के साथ बांट बराबर का जन्म से पुश्तैनी हक व हिस्सा निहित है। वादीगण आपसी सहमति से प्रतिवादी सं.1 से प्राप्त अपने पुश्तैनी हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहें हैं। वादीगण प्रतिवादी सं.1 के साथ बांट बराबर का अर्थात 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण का प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से निहित पुश्तैनी हक व हिस्से की आराजी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण को को अपने हिस्से की आराजी को काश्त करने तथा विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी होती है साथ ही राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण पुश्तैनी हिस्से पर ऋण आदि प्राप्त करने में व अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। वादीगण को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पडता है। वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से कहने पर पटवारी हलका द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीगण के लिए आवश्यक होने से वादी ने उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं.1 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया और वादीगण के वाद का समर्थन कर वाद को डिक्री किये जाने की अपनी सहमति व्यक्त की। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी सुनी गई। बहस वकील सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा आदि के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तह. सांगोद के खाता स. नई 69 के खसरा न. 220, 227, 228, 243, 270, 271, 272, 273 कुल किता 8 की कुल 3.56 है. आराजी में निहित प्रतिवादी सं.1 के 2/9 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक को बांट बराबर से अर्थात 2/27–2/27 हिस्से का, माल ग्राम डाबरी खुर्द पटवार हलका कुराडिया खुर्द के खाता सं. नई 215 के ख.न. 460, 461, 463, 465 कुल 4 किता की कुल 1.70 है. आराजी में निहित प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक को

154 के ख.न. 103, 113, 114, 115, 116, 117, 164, 49, 51, 52, 53, 62 कुल 12 किता की कुल 6.76 है. आराजी में निहित प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक को बांट बराबर से अर्थात 1/9–1/9 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद